जिला–मधुबनी **दिनांक–02.06.2026**

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, झंझारपुर, मधुबनी
सत्र वाद संख्या : 354 / 2023
साधारण पंजी वाद संख्या–208 / 2019
लौकहा थाना कांड सं0–24 / 2019

सरकार (द्वारा पवित्री देवी पति–बद्री यादव, सूचिका)
साकिन–चन्नीपुर, थाना–लौकहा, जिला–मधुबनी

..... अभियोजन

बनाम

01. राधा देवी पति–स्व0 दुःखी लाल यादव (उम्र लगभग–65 वर्ष),
02. भगवानदत यादव पिता–स्व0 दुःखी लाल यादव (उम्र लगभग–39 वर्ष),
03. महेन्द्र यादव पिता–स्व0 देव लाल यादव (उम्र लगभग–55 वर्ष),
04. राज लाल यादव पिता–स्व0 देव लाल यादव (उम्र लगभग–65 वर्ष),
05. दरो देवी पति–भगवानदत यादव (उम्र लगभग–40 वर्ष),

साकिनान–चन्नीपुर, थाना–लौकहा, जिला–मधुबनी

..... अभियुक्तगण

अपराध की तिथिः–04.02.2019
प्राथमिकी की तिथिः–09.02.2019
आरोप पत्र की तिथिः–25.10.2019
संज्ञान की तिथिः–02.06.2022
दौरा सुपुदर्गी की तिथिः–30.05.2023
आरोप गठन की तिथिः–31.10.2023
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथिः–29.11.2023
निर्णय पर नियत करने की तिथिः–02.06.2023
निर्णय की तिथिः–02.06.2023
सजा देने की तिथि, यदि कोई हो :–

अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री देवशंकर झा (सहायक लोक अभियोजक)
अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री राजीव कुमार झा

निर्णय तिथि–02.06.2026

उपस्थित : अनिल कुमार राम,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,तृतीय,
झंझारपुर, मधुबनी

नि र्ण य

01. प्रस्तुत थाना कांड के उपरोक्त नामजद अभियुक्तगण 01. राधा देवी, 02. भगवानदत यादव, 03. महेन्द्र यादव, 04. राज लाल यादव एवं 05. दरो देवी का भा0द0वि0 की धारा–307 / 34, 323 / 34, 324 / 34, 341 / 34, 504 / 34 के अंतर्गत विचारण किया गया है।

02. अभियोजन कहानी का अंतर्सार, सूचिका के फर्दबयान के आधार पर यह है कि घटना लगभग साढ़े पांच वर्ष पूर्व सुबह की है। सूचिका अपने आंगन में थी। उसके पति पुआल के टाल से पुआल लाने गये थे। तभी भगवानदत्त यादव आये और उसके पति को गाली–गलौज करने लगे। उसके पति द्वारा विरोध करने पर भगवानदत्त

यादव उसके पति बद्री यादव को फरसा से सिर पर मारना चाहा जो हाथ से रोकना चाहा तो बायां हाथ कट गया। भगवानदत्त यादव उसके पति को दोबारा फरसा से मारा जो सिर पर लगा जिससे सिर फट गया और खून बहने लगा और जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। जब सूचिका और उसकी सास मुसनी देवी बचाने गये तो भगवानदत्त यादव फरसा से उसे भी सिर पर मारा जिससे सिर कट गया और खून बहने लगा और जमीन पर गिर गयी। दरो देवी, राधा देवी लाठी से सूचिका को मारी जिससे सूचिका जख्मी हो गयी। सूचिका की सास मुसनी देवी को राजलाल यादव फरसा से कपार पर मारा जिससे कपार फट गया और खून बहने लगा। महेन्द्र यादव भाला से सूचिका की सास मुसनी देवी को दाहिना टांग पर मारा जिससे कट गया और खून बहने लगा। अगल–बगल के लोग आये तो तीनों जख्मियों को ईलाज हेतु टेम्पू से खुटौना अस्पताल ले गये। खुटौना अस्पताल में इनलोगों का ईलाज हुआ तथा बेहतर ईलाज के लिए सूचिका और उसके पति को दरभंगा रेफर कर दिया गया। जहां इन दोनों का ईलाज हुआ।

03. सूचक के उक्त फर्दबयान के आधार पर थाना लौकहा में भा0द0वि0 की धारा–341/323/324/307/504/34 के अंतर्गत थाना कांड संख्या–24/2019 दिनांकित–09.02.2019 पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गयी। विवेचनोंपरांत, विवेचक ने घटना को प्रथमदृष्टया सत्य पाते हुए नामजद अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–341/323/324/307/504/34 के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या–258/2019 दिनांक 25.10.2019 को न्यायालय में समर्पित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपपत्रित अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में संज्ञान लिया गया।

04. अभियुक्तगण की उपस्थिति के पश्चात् एवं पुलिस कागजात की आपूर्ति के पश्चात् विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के आधार पर सत्र न्यायालय को विचारण हेतु दौरा सुपुर्द किया गया।

05. अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–307/34, 323/34, 324/34, 341/34, 504/34 के अंतर्गत दिनांक–31.10.2023 को दंडनीय अपराध के लिए आरोप का गठन किया गया तथा उसकी विशिष्टयां अभियुक्तगण को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने दोषी होने का अभिवाक् नहीं किया तथा वाद विचारण का दावा किया।

06. निर्दोषिता तथा मिथ्या आरोप ही प्रतिरक्षा पक्ष का बचाव है। धारा–313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में अभियुक्तगण ने आरोपित आरोपों से इंकार किया है तथा अपने को निर्दोष बताया है।

07. अब इस वाद में विनिश्चय हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों की छाया से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है ?

मंतव्य

08. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने आरोपों के समर्थन में कुल 04 मौखिक साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, जो निम्नलिखित हैं :–

अभियोजन साक्षी सं0–01 नन्देश्वर मंडल,

अभियोजन साक्षी सं0–02 पवित्री देवी,

अभियोजन साक्षी सं0–03 हरिकिशुन मंडल,

अभियोजन साक्षी सं0–04 डॉ0 विजय मोहन केशरी,

उक्त साक्ष्य के अलावा अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पवित्री देवी एवं बद्री यादव के जख्म प्रतिवेदन पर साक्षी सं0–04 डॉ0 विजय मोहन केशरी के हस्ताक्षर को क्रमशः प्रदर्श–01 एवं प्रदर्श 02 अंकित कराया गया है।

09. बचाव पक्ष द्वारा किसी भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. इस आपराधिक वाद में अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–307/34, 323/34, 324/34, 341/34, 504/34 के अंतर्गत विरचित किया गया है। विरचित आरोप के बिन्दु पर इस तथाकथित घटना के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करें तो स्पष्ट होता है कि अभियोजन द्वारा साक्षी के रूप में 04 मौखिक साक्षीयों को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पवित्री देवी एवं बद्री यादव के जख्म प्रतिवेदन पर साक्षी सं0–04 डॉ0 विजय मोहन केशरी के हस्ताक्षर को क्रमशः प्रदर्श–01 एवं प्रदर्श 02 अंकित कराया गया है।

11. लिखित आवेदन के अनुसार, घटना लगभग साढ़े पांच वर्ष पूर्व सुबह की है। सूचिका अपने आंगन में थी। उसके पति पुआल के टाल से पुआल लाने गये थे। तभी भगवानदत्त यादव आये और उसके पति को गाली–गलौज करने लगे। उसके पति द्वारा विरोध करने पर भगवानदत्त यादव उसके पति बद्री यादव को फरसा से सिर पर मारना चाहा जो हाथ से रोकना चाहा तो बायां हाथ कट गया। भगवानदत्त यादव उसके पति को दोबारा फरसा से मारा जो सिर पर लगा जिससे सिर फट गया और खून बहने लगा और जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। जब सूचिका और उसकी सास मुसनी देवी बचाने गये तो भगवानदत्त यादव फरसा से उसे भी सिर पर मारा जिससे सिर कट गया और खून बहने लगा और जमीन पर गिर गयी। दरो देवी, राधा देवी लाठी से सूचिका को मारी जिससे सूचिका जख्मी हो गयी। सूचिका की सास मुसनी देवी को राजलाल यादव फरसा से कपार पर मारा जिससे कपार फट गया और खून बहने लगा। महेन्द्र यादव भाला से सूचिका की सास मुसनी देवी को दाहिना टांग पर मारा जिससे कट गया और खून बहने लगा। अगल–बगल के लोग आये तो तीनों जख्मियों को ईलाज हेतु टेम्पू से खुटौना अस्पताल ले गये। खुटौना अस्पताल में इनलोगों का ईलाज हुआ तथा बेहतर ईलाज के लिए सूचिका और उसके पति को दरभंगा रेफर कर दिया गया। जहां इन दोनों का ईलाज हुआ।

12. उक्त बिन्दु पर अभियोजन द्वारा नन्देश्वर मंडल को अभियोजन साक्षी संख्या–01 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपने मुख्यपरीक्षण में घटना का अंशतः समर्थन करते हुए प्रतिपरीक्षण में कथन करते हैं कि घटना के समय वह अपने घर पर था तथा हल्ला सुने तथा हल्ला सुनकर घटनास्थल पर आये वहां पहले से महिला, बच्चा भी था। घटनास्थल पर पहुंचने पर देख कि पवित्री देवी के सिर पर फरसा से जख्म हुआ था। कपड़ा भींगा हुआ था तथा वह गिरी पड़ी थी तथा बेहोश थी। इसी प्रकार अभियोजन द्वारा सूचिका पवित्री देवी को अभियोजन साक्षी संख्या–02 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपने मुख्यपरीक्षण में घटना का अंशतः समर्थन करते हुए प्रतिपरीक्षण में कथन करते हैं कि सुलह उसने राजी–खुशी से की है और उसने स्वेच्छा से सुलहनामा आवेदन पर अंगूठा का निशान लगायी है। किस मुदालह के हाथ में क्या हथियार था वह नहीं कह सकती है। भीड़ भाड़ में उसे और बद्री यादव को कौन मारा वह नहीं बता सकता है। दोनो पक्षों के बीच सभी केस सुलह हो गया है। इस केस में वह आगे गवाही नहीं देना चाहती है तथा सुलह के आधार पर केस समाप्त हो जाता है तो उसे कोई आपत्ति नही है। इसी प्रकार अभियोजन द्वारा हरिकिशुन मंडल को अभियोजन साक्षी संख्या–03 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपने मुख्यपरीक्षण में घटना का अंशतः समर्थन करते हुए प्रतिपरीक्षण में कथन करते हैं कि हल्ला होने पर वह घटनास्थल पर पहुंचे। घटना के दस मिनट बाद वह पहुंचा था। उभय पक्षों के बीच मारपीट होने के दस मिनट बाद वह वहां पहुंचा था। खुटौना अस्पताल सूचक के परिवार के लोग ले गये थे साथ में वह भी था। जमीनी विवाद के कारण उभय पक्षों के बीच मारपीट हुआ था। इसके अलावा अभियोजन साक्षी संख्या–04 के रूप में चिकित्सक को परीक्षित कराया गया है, चूंकि सूचक एवं अन्य साक्षियों ने प्राथमिकी का समर्थन नहीं किया है। अतः चिकित्सक के साक्ष्य का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। अभियोजन को पर्याप्त समय, चेतावनी तथा न्यायालय द्वारा प्रक्रिया निर्गत करने के बाद भी अभियोजन द्वारा विवेचक सहित अन्य किसी महत्वपूर्ण साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है तथा परीक्षित साक्षीगण ने अपने–अपने साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है। उभय पक्ष द्वारा समझौता एवं अनुमति आवेदन दाखिल किया गया है। जिस पर सभी आवश्यक पक्षकारों का निशान/हस्ताक्षर है।

13. इस तरह अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी के मुख्य परीक्षण, प्रति परीक्षण एवं फर्दबयान में वर्णित तथ्यों में परस्पर भारी विरोधाभास है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–307/34, 323/34, 324/34, 341/34, 504/34 के आवश्यक तत्वों की पूर्ति नहीं की गयी है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष, मुदालहगण के विरूद्ध आरोपित धाराओं को संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है तथा इसका लाभ बचावपक्ष को न्यायहित में दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

14. उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों के तर्कों एवं अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य एवं वाद की परिस्थितियों के विवेचनोंपरांत इस न्यायालय का यह अभिमत है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–307/34, 323/34, 324/34, 341/34, 504/34 के आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों की छाया से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा हैं।

<u>आ दे श</u>

15. अभियुक्तगण **01. राधा देवी** पति–स्व0 दुःखी लाल यादव, **02. भगवानदत यादव** पिता–स्व0 दुःखी लाल यादव, **03. महेन्द्र यादव** पिता–स्व0 देव लाल यादव, **04. राज लाल यादव** पिता–स्व0 देव लाल यादव एवं **05. दरो देवी** पति–भगवानदत यादव, साकिनान–चन्नीपुर, थाना–लौकहा, जिला–मधुबनी का भा0द0वि0 की धारा–307/34, 323/34, 324/34, 341/34, 504/34 के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर रिहा किया जाता है तथा उनके जमानतदार अपने जमानत दायित्वों से मुक्त किये जाते हैं। अभियुक्त भगवानदत यादव कारा में है। कार्यालय अभियुक्त के कारा से निर्मुक्ति हेतु तत्काल उपस्थापन अधिपत्र वापस करने हेतु पत्र निर्गत करें तथा साथ–ही–साथ निर्णय की प्रति धारा–365 द0प्र0सं0 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी, मधुबनी को यथाशीघ्र प्रेषित करें तथा अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागारित करें।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हिन्दी में पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया गया।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत) **लेखापित**

(अनिल कुमार राम)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
झंझारपुर,मधुबनी
02.06.2026

(अनिल कुमार राम)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,तृतीय
झंझारपुर,मधुबनी
02.06.2026